

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

अधीकारी :- संजय कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 162/2023

1. यश पुनियां पुत्र सरजीत सिंह पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी 9 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- वादी

बनाम

1. सुनिता पत्नी सरजीत सिंह जाति बिश्नोई निवासी 9 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. प्रियकां पुनियां पुत्री सरजीतसिंह जाति बिश्नोई निवासी 9 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. विवेक पुत्र सरजीतसिंह जाति बिश्नोई निवासी 9 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- प्रतिवादीगण



अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :- 12.06.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से श्री हावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.6.24 को संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे लिये पेश हों पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित सुनिता के नाम से चक नम्बर 9 के.एस.पी. के खाता संख्या 87/10 में कुल 8.750 हैक्टर आराजी में से चक नम्बर 9 के.एस.पी. के खाता संख्या 87/10 में पत्थर नम्बर 166/303(32) किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 7, 8, 9, 10, पत्थर नम्बर 167/302(28) किला नम्बर 5/1/0.203, 5/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 5/3/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 15/3/0.123, 15/4/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, पत्थर नम्बर 167/303(33) किला नम्बर 10, पत्थर नम्बर 168/302(27) किला नम्बर 1/1/0.228, 2/1/0.228, 2/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

खाला, 3/1/0.228, 3/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 4/1/0.228, 4/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 7, 8, 9, 10 का वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर क्रम नम्बर 9 के.एस.पी. के खाता संख्या 87/10 में से प्रतिवादीया संख्या 1 सुनिता का हिस्सा बन कर शेष जमाबन्दी यथावत् रखे जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व भिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि मुक्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर नया कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12.06.2024 को हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई



02/06/24
 (संखण्ड कुमर) एवं
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
द पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
वक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
दर्शों के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
..... रुपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
देशिका की तामिल	--		
ग	--	योग	--